रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/श्रावण 3, 1938
No. 511] NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/ SRAVANA 3 , 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 720(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसका केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ परामर्श करने के पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है तथा एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख के 30 (तीस) दिन के बाद विचार किया जाएगा।

आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, श्री अजय मलिक, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 को भेजे जाएं।

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में ऊपर निर्धारित अवधि के अन्दर किसी व्यक्ति से आपत्तियॉं अथवा सुझाव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारुप नियम

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम,1950 में,

(क) नियम "51 (अ) की पुन:संख्यांकित" "51अ" किया जाएगा

(ख) नियम 51 अ जो पुन: संख्यांकित किया गया है के उप नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित नया नियम रखा जाएगा; अर्थात:-

"51ख- क्षेत्रों में,जहां स्कीम प्रथम बार कार्यान्वित की जाती है, जिस तारीख से स्कीम अधिसूचित की गई थी, नियोक्ताओं और कर्मचारियों की अंशदान दर आरंभिक 24 माह (चौबीस माह) के लिए निम्नानुसार होगी:-

(क) नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी को संदेह मजदूरी के तीन प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित); और

(ख) कर्मचारी का अंशदान, कर्मचारी को संदेय मजदूरी के एक प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित)

परन्तु अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से 24 माह पूर्ण होने पर अंशदान की दर नियम 51में दिए अनुसार प्रयोज्य होगी"

[फा. सं. एस-38012/01/2016-सा.सु.-I]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 212 तारीख 22 जून, 1950 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 598(अ) तारीख 14 जून, 2016 को संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2016.

G.S.R. 720(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, which the Central Government, after consulting the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ajay Malik, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The Objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of this final publication in the Official Gazette.

(3) In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;

(a) Rule "51-(A)" shall be renumbered as rule "51A";

(b) After sub-rule (2) of rule 51A as so renumbered the following new rule shall be inserted, namely:-

"51B. In areas where the Act is implemented for the first time, the rates of employer's and employee's contribution for the initial twenty-four months from the date from the date of implementation , shall be as under:-

(a) Employer's contribution - A sum (rounded to the next higher rupee) equal to three per cent. of the wages payable to an employee; and

(b) Employee's contribution - A sum (rounded to next higher rupee) equal to one per cent. of the wages payable to an employee.

Provided that on completion of twenty-four months from the date of notification of the Act, the rate of contribution as provided under rule 51 shall be applicable”.

[F. No. S-38012/01/2016-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950 and lastly amended vide notification number G.S.R. 598(E) dated the 14th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.